आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश

यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग–2025

U.P. AYUSH P.G. Counselling-2025

वेबसाइट- **https://upayushcounseling.upsdc.gov.in**

Help Line No. (Mob.)- **8858690886**

Email Id- upayushpgcounselling2022@gmail.com

विवरण पुस्तिका (Brochure)

शैक्षणिक सत्र (Academic year) 2025-26

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों / निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के पी0जी0 पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0) में प्रवेश हेतु।

For the admission in PG courses (M.D./M.S.) of Ayurveda, Unani & Homoeopathy in Government Colleges /Private Colleges, State Universities/Minority Institutions of Uttar Pradesh

शासनादेश संख्या–3659 / 96–आयुष–1–2025–ई0पत्रा0–1935148, आयुष अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक–15 सितम्बर, 2025 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों / निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के पी0जी0 पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0) में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में दिशा–निर्देश।

नोडल सेन्टर–राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, निकट रमाबाई रैली स्थल, बिजनौर रोड, लखनऊ

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	फ्लो चार्ट	3
2	अर्हतायें	4–5
3	अनर्हतायें	5
4	आरक्षण	5–6
5	पंजीकरण प्रक्रिया एवं पंजीकरण शुल्क	7
6	धरोहर धनराशि एवं भुगतान की प्रक्रिया	7–8
7	अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया	8–9
8	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग	10
9	काउन्सिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया	10–12
10	त्याग पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाऐं	12
11	बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के संबन्ध में	13
12	कालेजों का शुल्क एवं अन्य जानकरियॉ	13
13	सहायता केन्द्र	13–14
14	विविध	14–15
15	कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण	15–19
16	सामान्य निवास प्रमाण–पत्र का शासनादेश एवं प्रारूप (संलग्नक–1)	20–25
17	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची एवं प्रमाण–पत्र का प्रारूप (संलग्नक–2)	26–28
18	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जातियों की सूची एवं प्रमाण–पत्र का प्रारूप (संलग्नक–3)	29–31
19	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण–पत्र का प्रारूप (संलग्नक–4)	32–33
20	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले केन्द्रों की सूची एवं प्रारूप (संलग्नक–5)	34–39
21	आयुष महाविद्यालयों के सम्पर्क सूत्र एवं हाईपरलिंक (संलग्नक–6)	40–43

1. फ्लो चार्ट (Flow Chart)

COUNSELLING PROCESS AT A GLANCE

1. REGISTRATION
   https://upayushcounseling.upsdc.gov.in
2. PAYMENT OF REGISTRATION FEE & DOCUMENTS UPLOAD
3. PAYMENT OF SECUIRITY AMOUNT
4. ONLINE DOCUMENT VERIFICATION
5. PUBLICATION OF STATE MERIT LIST
6. CHOICE FILLING AND LOCKING
7. PUBLICATION OF TENTATIVE SEAT ALLOTMENT
8. DOCUMENT VERIFICATION AT NODAL CENTRE
9. DOWNLOAD ALLOTMENT LETTER
10. ADMISSION AT ALLOTED COLLEGE

2. अर्हतायें (Eligibility)

2.1– ऐसे अभ्यर्थी जो ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

2.2– ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 की प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेंटाइल अंक प्राप्त किये हों।

1–अनारक्षित श्रेणी 2–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 50 परसेन्टाइल अंक
3–अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 45 परसेन्टाइल अंक
4–आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी हेतु 5–आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 40 परसेन्टाइल अंक

2.3– भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यदि अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

2.4– किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक परीक्षा (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे तथा अभ्यर्थी की एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप आयुर्वेद एवं यूनानी पाठ्यक्रमों हेतु एन0सी0आई0एस0एम0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि–31.07.2025 तक तथा होम्योपैथी पाठ्यक्रम हेतु एन0सी0एच0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि–31.08.2025 तक पूर्ण होनी चाहिए।

2.5– प्रदेश के **राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियो ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं वांछित विधा की स्नातक उपाधि उत्तर प्रदेश की सीमान्तर्गत विधि द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को छोड़कर) से उत्तीर्ण की हो, उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

2.6– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं वांछित विधा की स्नातक उपाधि में से कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा बी0एच0यू0/ए0एम0यू0 से उत्तीर्ण की है, तथा उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0 प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.7– अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित विधा के चिकित्सा पद्धति बोर्ड में स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा घोषणा पत्र देना होगा कि प्रवेशित संस्था में संबन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की तिथि तक वह स्थायी रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देगा।

2.8– निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल अथवा समकक्ष, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं स्नातक परीक्षा (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।

2.9– निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों में स्टेट कोटे (85 प्रतिशत) की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। स्टेट कोटें की 85 प्रतिशत सीटों पर उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नियमों के अन्तर्गत ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अनुमन्य होंगे। उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग का कटऑफ परसेन्टाइल/स्कोर अनुमन्य होगा।

2.10– निजी क्षेत्र के **आयुष कालेजों में** यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 के प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों (उ0प्र0 को छोड़कर) के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित प्रदेश का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने पर आल इण्डिया के आरक्षण नियमों (ए0ए0सी0सी0सी0–2025 के ब्रोशर में उल्लिखित) के अनुसार ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अनुमन्य होगा।

2.11– आयु सीमा– आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0) में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्दिष्ट नही है।

3. अनर्हतायें (Ineligibility)

3.1– ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थानो में आयुष पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

3.2– अभ्यर्थी की एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप आयुर्वेद एवं यूनानी पाठ्यक्रमों हेतु एन0सी0आई0एस0एम0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि–31.07.2025 तक तथा होम्योपैथी पाठ्यक्रम हेतु एन0सी0एच0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि–31.08.2025 तक पूर्ण न हुई हो।

3.3– राजकीय क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

3.4– ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC-2025) द्वारा समय–समय पर घोषित अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नही होंगे।

3.5– यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आंवटित हुई हो, ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु अर्ह नही होंगे।

4. आरक्षण (Reservation)

4.1– यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 हेतु आरक्षण–शासनादेश संख्या–3659 / 96–आयुष–1–2025–ई0पत्रा0–1935148 दिनांक 15.09.2025 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

4.2– राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षणः–उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के सामान्य निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः–

(क) उर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

नोटः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का–2 / 19 टी0सी0 दिनांक–08.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार E.W.S. का आरक्षण उन्हीं कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली द्वारा E.W.S.के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई हो।

(ख) क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण

1	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत

4.3– आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्लू0एस0) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

4.4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) श्रेणी हेतु दिनांक **01 अप्रैल, 2025** या उसके बाद का निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

4.5– भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

4.6– समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक–12 जनवरी 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी0सी0–II दिनांक–18 फरवरी 2019 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण दिया जायेगा।

4.7– दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम–2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन उप श्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमीशन सेन्ट्रल काउसिंलिंग कमेटी (ए.ए.सी.सी.सी.–2025) हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र जो वर्तमान सत्र 2025–26 के लिए निर्गत किये गये हों, ही मान्य होगा

4.8– दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमिशन सेन्टर काउंसिलिंग कमेटी 2025 हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्धारित प्रारूप पर तथा वर्तमान सत्र 2025–26 के लिए निर्गत किये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

4.9– उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियॉ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित है। यह सम्भावना है कि ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गयी हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग–2025 हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

4.10– स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिपेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग–2025 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

4.11– रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक–24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

4.12– शासनादेश संख्या–22 सी0एम0(1)/26.03.2013 दिनॉक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

बिन्दु संख्या–3 जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या–4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति का आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

4.13– निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों की सीटों पर कोई आरक्षण देय नहीं हैं।

5. पंजीकरण प्रक्रिया (Registration) एवं पंजीकरण शुल्क

5.1– पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को आयुष काउंसिलिंग की अधिकृत वेबसाइट **https://upayushcounseling.upsdc.gov.in** पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी पंजीकरण हेतु ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 का प्रयोग करेंगे तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फार्म भरेंगे।

5.2– **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फार्म स्वयं भरे। किसी एजेण्ट या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फार्म न भरवायें, साथ ही पंजीकण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई0डी0 का ही प्रयोग करें।**

5.3– पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् अभ्यर्थी को अपना विवरण यथा श्रेणी/उपश्रेणी, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आई0डी0 इत्यादि अंकित करना होगा।

5.4– पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। इस पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति से साझा न करें।

5.5– काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को रू0 2,000/– (रूपये दो हजार) मात्र आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम से) द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

5.6– स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें वर्ष–2025 की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही कराया है उन्हें पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– (रूपये दो हजार) मात्र देय होगा।

5.7– प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, परन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नही हुई हो, यदि ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करना चाहते हों तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुये रू0 1,000/– (एक हजार) मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा।

5.8– पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।

5.9– पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

6. धरोहर धनराशि (Security Money) एवं भुगतान की प्रक्रिया

6.1– धरोहर धनराशि जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अपनी अर्हता स्वयं जॉच ले।

6.2– पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनॅलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसका लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।

6.3– धरोहर धनराशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

विकल्प	धरोहर धनराशि
केवल **राजकीय** आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (For Government Colleges only)	रू0 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र)
केवल **निजी क्षेत्र** के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (For Private Colleges only)	रू0 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र)
राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनो प्रकार के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both)	

6.4– धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह होगा।

6.5– धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

6.6– आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित/अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी चक्रों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

6.7– अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते मे गेटवे के माध्यम से वापस की जायेगी जिस बैंक खाते से अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि का आनलाईन भुगतान किया गया हो।

6.8– अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने अथवा अपने माता/पिता के बैंक खाते से ही करें, साइबर कैफे अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान न करें, जिससे रिफण्ड के समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकें। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

6.9– यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC-2025) से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, तो उसे शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7. अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification) प्रक्रिया

यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन एवं भौतिक रूप से कराया जायेगा।

(क) आनलाइन सत्यापन– यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन कराया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय निम्नलिखित अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

1. हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक–पत्र।
3. वांछित विधा की स्नातक उपाधि/औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate)/अन्तिम वर्ष की अंक तालिका।
4. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 का स्कोर कार्ड।
5. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
6. डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (यदि लागू हो)।
7. अभ्यर्थी की 12 माह की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र।
8. संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड का स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र/स्थायी पंजीकरण प्राप्त होने का घोषणा–पत्र।
9. अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जायेगा, आधार उपलब्ध न होने अथवा प्रमाणीकरण न हो पाने की स्थिति में ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट/पैन कार्ड/फोटो युक्त बैंक पासबुक/अन्तिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटोयुक्त पहचान–पत्र अपलोड करना होगा।

अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के आनलाइन सत्यापन के समय पोर्टल पर अपलोड किये गये अभिलेखों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, तदोपरान्त समस्त सत्यापित (Verified) अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट लिस्ट (State Merit List) काउन्सिलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके पश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग करना होगा, तदोपरान्त प्रोविजनल सीट आवंटन (Provisional Seat Allottment) सूची जारी की जायेगी। प्रोविजनल सीट आवंटित अभ्यर्थी को ही भौतिक सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करानी होगी।

(ख) भौतिक सत्यापन– यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग स्थल तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरुप में एवं स्वप्रमाणित एक–एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।

1. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 का प्रवेश पत्र।
2. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 का स्कोर कार्ड।
3. आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्टआउट।
4. धरोहर धनराशि का प्रिन्टआउट।
5. हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

6. स्नातक परीक्षा (बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0) की समस्त वर्षों की अंक तालिकायें।

7. स्नातक उपाधि (बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0) / औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate)।

8. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि प्रवेश के समय उसके द्वारा 12 माह का अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के अभ्यर्थियों हेतु 31.07.2025 को एवं होम्योपैथी विधा के अभ्यर्थियों हेतु 31.08.2025 को पूर्ण की गई हो। (जो लागू हो)

9. संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड का स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
नोट– स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष उत्तर प्रदेश के संबन्धित चिकित्सा पद्धति बोर्ड में स्थायी रूप से पंजीकृत होने का घोषणा पत्र देना होगा कि प्रवेशित संस्था में संबन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की तिथि तक वह स्थायी रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देगा।

10. एक फोटोग्राफ, जो उसी निगेटिव से बना हों जो ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 हेतु आनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो।

11. निर्धारित प्रारुप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।** अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) का प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक–01.04.2025 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।

12. दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC-2025) हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग /होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्धारित प्रारुप पर संबंधित सत्र 2025–26 के लिए निर्गत किये गये हों।

13. उत्तर प्रदेश में निवास करने का मूल / सामान्य निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

14. पहचान पत्र–आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / पासपोर्ट / फोटो युक्त बैंक पासबुक। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्ही कारणों से आधार प्रमाणीकरण नही हो सका है ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।

15. राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी हेतु नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

नोट–

1. **दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर तथा वर्तमान सत्र 2025–26 के लिए निर्गत किये गये हों, ही मान्य होंगे । दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद / अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विवाद / अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।**
2. अभिलेखों का सत्यापन राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, निकट रमाबाई रैली स्थल, बिजनौर रोड, लखनऊ पर होगा।
3. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
4. **प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में** यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त समझा जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

8. च्वाइस फिलिंग (Choice Filling and Locking)

8.1– धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग करना होगा।

8.2– च्वाइस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लाक करना अनिवार्य होगा। च्वाइस लाक न करने की दशा में सीट आवंटन नही होगा।

8.3– अभ्यर्थी को प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग में नवीन स्तर से पुनः च्वाइस फिलिंग करनी होगी। पूर्व के चक्रों में भरी गई च्वाइस स्वतः शून्य हो जायेगी।

8.4– प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग तक पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकते है।

8.5– तृतीय चक्र में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय चक्र में आवंटित/पुनरावंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.6– अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिये च्वाईस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।

9. काउन्सिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया (Counselling, Allottment and Admission)

9.1– काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों से रिक्त सीटों का आवंटन किया जायेगा।

9.2– प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग की समय सारिणी यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड–2025 द्वारा निर्धारित कर काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग की विज्ञप्ति प्रदेश के बहुप्रसारित न्यूनतम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों (हिन्दी एंव अंग्रेजी) में प्रकाशित करायी जायेगी।

9.3– **प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग–**

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रोविजनल सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेन्टर पर अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा, तदोपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपना आवंटन पत्र (Allottment Letter) डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नही कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।

- सीट आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

9.4— द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग—

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नही कराया हो, वह द्वितीय चक्र में पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्कयता नही है।
- प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकते है। अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- द्वितीय चक्र में भी यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नही कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
- आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

9.5— तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग—

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नही कराया हो, वह तृतीय चक्र में पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग—2025 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो, तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्कयता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकते है।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के आवंटन प्रक्रिया के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसे सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

CONVERSION ALGORITHM

क्र0सं0	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	अनुसूचित जनजाति—ST (PwD)	अनुसूचित जनजाति—ST
2	अनुसूचित जाति—SC (PwD)	अनुसूचित जाति—SC
3	अनारक्षित—UR (PwD)	अनारक्षित—UR
4	अन्य पिछड़ा वर्ग—OBC (PwD)	अन्य पिछड़ा वर्ग—OBC
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS(PwD)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS
6	अनुसूचित जनजाति —ST	अनुसूचित जाति—SC

7	अनुसूचित जाति –SC	अनारक्षित–UR
8	अन्य पिछड़ा वर्ग–OBC	अनारक्षित–UR
9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS	अनारक्षित–UR

- निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। द्वितीय चक्र के उपरान्त यदि सीटें अवशेष रहती हैं तो उन सीटों को तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय स्टेट कोटे की 85 प्रतिशत सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।

9.6– स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउन्सिलिंग–

- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नही होगें।
- स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें वर्ष–2025 की काउंसिलिंग के पूर्व चक्रों में पंजीकरण नही कराया है उन्हें पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– (रूपये दो हजार) मात्र देय होगा।
- प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, परन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नही हुई हो, यदि ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करना चाहते हों तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुये रू0 1,000/– (एक हजार) मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा।
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को स्वंय भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउंसिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- स्ट्रे वैकेंसी चक्र में कोई पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा।

9.7– प्रवेश प्रक्रिया –

- भौतिक सत्यापन के उपरान्त आवंटन पत्र डाउनलोड कर समस्त अभ्यर्थियों को आवंटित आयुष कालेज में प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी।
- प्रवेश के समय भौतिक सत्यापन हेतु समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- काउन्सिलिंग से आवंटन पत्र प्राप्त सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन एवं मेडिकल बोर्ड का गठन कर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10. त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें (Resignation)

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के 48 घण्टे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 14–09–2025 को प्रातः 10:00 बजे से प्रांरम्भ होनी हैं तो अभ्यर्थी को दिनांक 12.09.2025 को प्रातः 9:59 बजे तक) अपनी सीट से काउन्सिलिंग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रु0 दो हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- **प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त त्यागपत्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नोडल आफिसर्स द्वारा निधार्रित समय समयान्तर्गत एन0आई0सी0 के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर अपडेटेड त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित संस्था को समयान्तर्गत त्यागपत्र दिये जाने पर यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयान्तर्गत अपडेट नही की जाती है, तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

- अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सबंधित कालेज पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।
- तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु त्यागपत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।

11. बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में

- राजकीय आयुष मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि पाठ्यक्रम बीच में छोड़कर जाते है, ऐसी स्थिति में प्राप्त सम्पूर्ण छात्रवेतन/स्टाईपेन्ड बाण्ड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वापस करना अनिवार्य होगा।

12. सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र/अल्पसंख्यक क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क एवं अन्य जानकारियॉ (College Fee)

- सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क आदि देय होंगे।
- निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय के शुल्क का विवरण तथा इन कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण काउन्सिलिंग की बेवसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्कों के अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा।

13. सहायता केन्द्र (Helpdesk)

ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Continuously go through website for updated information about online counselling

https://upayushcounseling.upsdc.gov.in

- यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 से सम्बन्धित समस्त जानकारी के लिये उपरोक्त काउन्सिलिंग पोर्टल पर शासनादेश, विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध हैं इसक अतिरिक्त समय–समय पर अन्य दिशा–निर्देश/सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।
- इसके अतिरिक्त समस्या का समाधान न होने की दशा में निम्नलिखित सहायता केन्द्रों से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त करें।
- यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2025 में भुगतान की गयी राशि का बैंक द्वारा चार्ज बैक अनुमन्य नही होगा। अभ्यर्थी किसी भी तरह के रिफण्ड की मांग के लिये काउन्सिलिंग की अधिकारिक ईमेल पर संपर्क करे।
- **अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances):-**

अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित अधिकारियों का नाम व पदनाम निम्नानुसार हैः–

1. डा0 ब्रिजेश गुप्ता 2. डा0 मो0 साकिब (ई–मेल कार्यों हेतु)	upayushpgcounselling2022@gmail.com
डा0 मो0 अबू बकर (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न0–8858690886

(हेल्प लाइन नम्बर पर सूचना प्राप्त करने या समस्याओं का निवारण/समाधान करने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)

- बैंक सहायता **(Bank help desk):-**
  - भारतीय स्टेट बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये किसी भी संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

  Email: sbiepay@sbi.co.in
  Phone: +91-22-27535773 (24*7 customer care service)

  - आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये गये किसी भी संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

  Email: mayank.bha@icicibank.com, kumari.sinha1@icicibank.com
  Phone: 1800 1080 (24*7 customer care service)
  Abhinay Patel 7753942974
  Nandini Sinha 9372710235

नोट– अभ्यर्थी सभी ई–मेल केवल आधिकारिक ईमेल **upayushpgcounselling2022@gmail.com** पर ही निम्न विवरण के साथ भेजें। अन्यथा उनके ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा।
नाम–
ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2025 रोल नंबर–
पंजीकरण संख्या–
मोबाइल नंबर–
ईमेल आईडी–

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो सूचानाएं विवरण पुस्तिका में उपलब्ध हैं, उन सूचनाओं से संबन्धित प्रश्नों का उत्तर नही दिया जायेगा।

14. विविध (Miscellaneous)

- **Disclaimer:-**Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh& National Informatics Centre (NIC) will be conducting the online registration/counselling procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradeshor National Informatics Centre (NIC)will not be responsible for delay in registration/counselling process due to any kind of technical fault or electricity failure.
- **अस्वीकृति**–आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण/ काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाओं के अनुसार संचालित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचनाओं के लिये अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा। आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0 किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

Candidates are required to assess their eligibility carefully themselves before applying and depositing the registration fee and security money. The eligibility will be checked at the time of document verification at nodal center and at the time of admission in state AYUSH Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website. **Deposited registration fee will not be refunded in any case.**

अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भली–भॉति स्वयं आंकलन कर लें। विवरण पुस्तिका/वेबसाइट में दिये गये निर्देशों के अनुसार काउन्सिलिंग के समय नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रदेश के आयुष कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। **जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की वापसी, किसी भी स्थिति में नहीं होगी।**

- Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions, will make the candidate loose his/her candidature and would be subjected to legal action.
- प्रवेश प्रक्रिया अथवा उसके उपरान्त शैक्षणिक सत्र के समय,यदि अभ्यर्थी की कोई सूचना अनुचित/गलत पायी जाती है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये सम्बन्धित को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा। (The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

15. स्वीकृत सीटों का कालेजवार विवरण (Available Seats)

शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से प्रवेश अनुमति प्राप्त उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेजों की सूची एवं स्वीकृत सीटों की संख्या–

–आयुर्वेद–

(1) राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के एम0डी0 (आयु0)/एम0एस0(आयु0) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2024–25 हेतु विवरण

क्र0सं0	कालेज का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 (आयु0)/एम0एस0 (आयु0)	सीटों की संख्या	शुल्क
1	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम0डी0	06	1.शिक्षण शुल्क– सामान्य श्रेणी हेतु रू0 12000/– प्रतिवर्ष आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 6000/– प्रतिवर्ष 2.अन्य शुल्क–रू0 2000/– प्रतिवर्ष 3.विकास शुल्क–रू0 4000/– प्रतिवर्ष 4.प्रवेश शुल्क–रू0 2000/– केवल प्रवेश के समय 5.काशन मनी (रिफन्डेबल)– रू0 4000/– केवल प्रवेश के समय
		रचना शारीर	एम0डी0	04	
		क्रिया शारीर	एम0डी0	04	
		द्रव्यगुण	एम0डी0	06	
		रस शास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	एम0डी0	05	
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	05	
		कौमारभृत्य	एम0डी0	05	
		काय चिकित्सा	एम0डी0	07	
			कुल सीट	42	
2	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	द्रव्यगुण	एम0डी0	07	
3	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम0डी0	04	
		रस शास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	एम0डी0	05	
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम0डी0	04	
		शल्यतंत्र	एम0एस0	05	
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	05	
		पंचकर्म	एम0डी0	02	
			कुल सीट	25	
कुल सीटों की संख्या				74	

(2) उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक कालेजों के एम0डी0(आयु0)/एम0एस0 (आयु0) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2025-26 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0(आयु0)/ एम0एस0(आयु0)	सीटो की सं0	शुल्क
1	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल खुर्जा बुलन्दशहर।	प्रसूति तंत्र एंव स्त्री रोग	एम0एस0	04	शिक्षण शुल्क-रू0 2,91,500/-प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क- रू0 1,20,000/-प्रतिवर्ष काशन मनी- रू0 50,000/-(वापसी)
		शल्यतंत्र	एम0एस0	07	
		कुल सीट		**11**	
2	मेजर एस0डी0 सिहं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल फर्रुखाबाद	प्रसूति तंत्र एंव स्त्री रोग	एम0एस0	06	शिक्षण शुल्क-रू0 3,12,900/-प्रतिवर्ष काशन मनी- रू0 50,000/-(वापसी)
		शल्यतंत्र	एम0एस0	06	
		कुल सीट		**12**	
3	श्री सांई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल अलीगढ।	शल्यतंत्र	एम0एस0	06	शिक्षण शुल्क-रू0 3,27,600/-प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क- रू0 90,000/-प्रतिवर्ष
		प्रसूति तंत्र एंव स्त्री रोग	एम0एस0	06	
		कुल सीट		**12**	
4	चन्द्र शेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान, सैयद सरावा, कौशाम्भी	शल्यतंत्र	एम0एस	05	शिक्षण शुल्क- 4,50,000/- प्रतिवर्ष; काशन मनी- रू0 50,000/-(वापसी)
		प्रसूति तंत्र एंव स्त्री रोग	एम0एस0	05	शिक्षण शुल्क- 4,50,000/- प्रतिवर्ष
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम0डी0	05	शिक्षण शुल्क- 3,25,000/- प्रतिवर्ष
		कुल सीट		**15**	
5	श्री धनवंतरि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम0डी0	06	**शिक्षण शुल्क-** 1.क्लीनिकल विषय शिक्षण शुल्क-रू0 2,97,800/-प्रतिवर्ष 2.नान क्लीनिकल विषय-रू0 2,44,400/-प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क- रू0 90,000/-प्रतिवर्ष काशन मनी- रू0 50,000/-(वापसी)
		रचना शारीर	एम0डी0	05	
		क्रिया शारीर	एम0डी0	06	
		काय चिकित्सा	एम0डी0	05	
		शल्य तंत्र	एम0एस0	06	
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	06	
		कौमारभृत्य (बाल रोग)	एम0डी0	06	
		कुल सीट		**40**	
6	श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फर्रुखाबाद	शल्यतंत्र	एम0एस0	06	शिक्षण शुल्क-रू0 3,25,000/-प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क- रू0 2,00,000/-प्रतिवर्ष काशन मनी- रू0 50,000/-(वापसी)
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	06	
		कौमारभृत्य (बाल रोग)	एम0डी0	06	
		कुल सीट		**18**	
7	जीवन ज्योती	शल्यतंत्र	एम0एस0	06	शिक्षण शुल्क-रू0

	आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल अलीगढ़	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	06	5,00,000 / –प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क– रू0 1,00,000 / –प्रतिवर्ष
			कुल सीट	12	
8	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल छाता मथुरा	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	05	शिक्षण शुल्क 3,60,000 / – प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क– रू0 1,45,000 / –प्रतिवर्ष काशन मनी–50,000 / –(वापसी)
		शल्यतंत्र	एम0एस0	05	
			कुल सीट	10	
9	शम्मे गौसिया माइनारटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	04	रू0 6,00,000 / –प्रतिवर्ष (हास्टल शुल्क– रू0 84,000 / –प्रतिवर्ष काशन मनी–50,000 / –(वापसी))
		शल्यतंत्र	एम0एस0	04	रू0 6,00,000 / –प्रतिवर्ष
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम0डी0	04	रू0 4,00,000 / –प्रतिवर्ष
		काय चिकित्सा	एम0डी0	05	रू0 5,00,000 / –प्रतिवर्ष
			कुल सीट	17	
	कुल सीटों की संख्या			147	

–यूनानी–

(1)–उ0प्र0 के राजकीय यूनानी कालेजों के एम0डी0 (यूनानी) / एम0एस0 (यूनानी) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2025–26 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का का नाम	एम0डी0(यूनानी) / एम0एस0(यूनानी)	सीटो की सं0	शुल्क
1	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ	तहफ्फुजी व समाजी तिब	एम0डी0	05	1.शिक्षण शुल्क– सामान्य श्रेणी हेतु रू0 12000 / – प्रतिवर्ष आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 6000 / – प्रतिवर्ष 2.अन्य शुल्क–रू0 2000 / – प्रतिवर्ष 3.विकास शुल्क–रू0 4000 / – प्रतिवर्ष 4.प्रवेश शुल्क–रू0 2000 / – केवल प्रवेश के समय 5.काशन मनी (रिफन्डेबल)– रू0 4000 / – केवल प्रवेश के समय
		तशरीहुल बदन	एम0एस0	03	
		इल्मुल सैदला	एम0डी0	04	
		इल्मुल अदविया	एम0डी0	05	
		मोआलेजात	एम0डी0	02	
		इल्मुल कबालत व अमराजे निस्वां	एम0एस0	02	
		इल्मुल जराहत	एम0एस0	03	
			कुल सीट	24	
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज	उज्न अनफ व हलक	एम0एस0	06	
		इलाज बिद तदबीर	एम0डी0	05	
		कुल्लियाते उमूर तबैया	एम0डी0	04	
		मुनाफेउल आजा	एम0डी0	01	
		माहियतुल अमराज	एम0डी0	03	
		अमराजे जिल्द व तजीनियत	एम0डी0	03	
		इल्मुल अत्फाल	एम0डी0	01	
			कुल सीट	23	
	कुल सीटों की संख्या–			47	

(2)—उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के यूनानी कालेजों के एम0डी0 (यूनानी)/एम0एस0 (यूनानी) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2025—26 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0(यूनानी)	सीटो की संख्या	शुल्क
1	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, मुजफ्फर नगर	तहफ्फुजी व समाजी तिब	एम0डी0	05	शिक्षण शुल्क तहफ्फुजी व समाजी तिब— 2,50,000/— प्रतिवर्ष कुल्लियाते उमूरे तबैया— 2,50,000/— प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क रू0—75000/—प्रतिवर्ष
		कुल्लियाते उमूरे तबैया	एम0डी0	05	
			कुल सीट	10	
2	अलीगढ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अलीगढ।	कुल्लियाते उमूरे तबैया	एम0डी0	04	**शिक्षण शुल्क** कुल्लियात—रू0 2,50,000/—प्रतिवर्ष मोआलेजात—रू0 3,00,000/—प्रतिवर्ष हास्टल शुल्क रू0—90,000/— प्रतिवर्ष
		मुआलेजात	एम0डी0	04	
			कुल सीट	**08**	
	कुल सीटों की संख्या			18	

—होम्योपैथी—

(1)—उ0प्र0 के राजकीयहोम्योपैथिक कालेजों के एम0डी0 (होम्यो0) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2025—26 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का का नाम	एम0डी0(होम्यो0)	सीटो की सं0	शुल्क
01.	**राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ**	आरगेनन आफ मेडिसिन	एम0डी0	07	1.शिक्षण शुल्क— सामान्य श्रेणी हेतु रू0 12000/— प्रतिवर्ष आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 6000/— प्रतिवर्ष 2.अन्य शुल्क—रू0 2000/— प्रतिवर्ष 3.विकास शुल्क—रू0 4000/— प्रतिवर्ष 4.प्रवेश शुल्क—रू0 2000/— केवल प्रवेश के समय 5.काशन मनी (रिफन्डेबल)— रू0 4000/— केवल प्रवेश के समय
		मटेरिया मेडिका	एम0डी0	07	
		रिपर्टरी	एम0डी0	06	
			कुल सीट	**20**	
02.	**राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, प्रयागराज**	मटेरिया मेडिका	एम0डी0	11	
			कुल सीट	**11**	
03.	**पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर**	मटेरिया मेडिका	एम0डी0	07	
		रिपर्टरी	एम0डी0	06	
			कुल सीट	**13**	
	कुल सीटों की संख्या—			**44**	

(2)—उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित होम्योपैथिक कालेजों के एम0डी0 (होम्यो0) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2025—26 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 (होम्यो0)	सीटो की सं0	शुल्क
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज नोएडा गौतम बुद्ध नगर	आरगेनन आफ मेडिसिन	एम0डी0	06	1. शिक्षण शुल्क 3,00,000 / — प्रति वर्ष प्रत्येक विषय 2.काशन मनी (रिफन्डेबल)— रू0 20000 / — 3. हास्टल फीस 1,10,000 / — प्रति वर्ष एयर कूल्ड 1,30,000 / — प्रतिवर्ष एयर कंडीशन 4. विद्युत शुल्क— अतिरिक्त
		मटेरिया मेडिका	एम0डी0	06	
		रिपर्टरी	एम0डी0	06	
		फार्मेसी	एम0डी0	06	
		प्रैक्टिस आफ मेडिसिन	एम0डी0	06	
		पिडियाट्रिक्स	एम0डी0	06	
		साइकिएट्री	एम0डी0	06	
			कुल सीट	**42**	
2	नैमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, आगरा	आरगेनन आफ मेडिसिन	एम0डी0	03	1. शिक्षण शुल्क 2,50,000 / — प्रति वर्ष प्रत्येक विषय 2. हास्टल फीस 1,00,000 / — प्रति वर्ष
		मटेरिया मेडिका	एम0डी0	04	
		रिपर्टरी	एम0डी0	03	
		फार्मेसी	एम0डी0	05	
		प्रैक्टिस आफ मेडिसिन	एम0डी0	06	
		पिडियाट्रिक्स	एम0डी0	05	
			कुल सीट	**26**	
	कुल सीटों की संख्या—			**68**	

नोटः—1—राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक कालेजों की सीटों में ई0डब्लू0एस0 कोटे की सीटें सम्मिलित हैं।

2—कउंन्सिलिंग में उन्ही महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा जिनको शैक्षणिक सत्र 2025—2 में प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार यदि किसी अन्य कालेज को मान्यता प्रदान करता है तो तत्समय उस कालेज को काउंसिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा। कालेज के सम्मुख अंकित सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

3—निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी कालेजों की शुल्क आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी निदेशालय से प्राप्त सूचना के आधार पर अंकित की गई है।

(डा0 नारायण दास)
उपनिदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0

(प्रो0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0

(प्रो0 जमाल अख्तर)
निदेशक, यूनानी / सदस्य सचिव, पी0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड—2025

संलग्नक–1

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग   लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " **नागरिकता** " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " **नागरिकता** " से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनॉक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्‌द्‌वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्‌नुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्‌वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी "** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्‌वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।

(6) प्रार्थी द्‌वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्‌वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्‌वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलाग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय **" दि सिटीजनशिप एक्त्-1955 "** में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रारूप-1</u>

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप।</u>

आवेदक का नाम ....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम ....

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा दी जाये।

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रामण पत्र (यदि है तो)

....

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)..

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) ....

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एव उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)..

पूरा वर्तमान पता ....

थाना ....तहसील ....

जनपद .... (तथा पिछले तीन वर्षो से निवास करने का पता, कब से कब तक) ....

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि ....
(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान ....

(ख) जन्म तिथि ....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हॉ/नहीं)........................ (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)
10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए ....

मैं................................. घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी..
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
.... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
....ग्राम/मोहल्ला.......................................
पोस्ट... ..जनपद.................................. उत्तर प्रदेश को
मैं .... वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी.. वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री/पत्नी .... की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला.......................... तहसील ....
जिला..में अचल सम्पति है।
दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत सामान्य निवास प्रमाण पत्र

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
मकान नंबर ....
मुहल्ला .... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता ....
....

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक–2

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं– 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या———— दिनांक————

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी———————— पुत्र/पुत्री/ श्री————————निवासी ग्राम ———————— तहसील————————नगर ————————जिला ———————— उत्तर प्रदेश राज्य की ———————— पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनसूची–दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी———————— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम————————तहसील————————नगर जिला———————— में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

————————

स्थान————————

मुहर ————————

हस्ताक्षर———————— दिनांक

पूरा नाम ————————

पद नाम तथा सील————————

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
3. जाट
4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी–सैंथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल
5. गिरी
6. गूजर
7. गोसाई
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत
9. कम्बोज
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य
12. कहार, कश्यप
13. केवट, मल्लाह, निषाद
14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कुजड़ा या राईन
19. गड़ेरिया, पाल, बघेल
20. गद्दी, घोसी
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22. छीपी, छीपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28. दर्जी, इदरीशी, काकुत्स्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांदू, कशोधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर
45. लोहार, लोहार–सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया–चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54. केसरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानबाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा / कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाडा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलवार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
78. मिरासी
79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)

24

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम

निवासी

ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>मोमिन (अंसार)</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि) पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

SHAMBHU SHARAN
Digitally Signed by SHAMBHU SHARAN O=REVENUE DEPARTMENT, OU=OFFICE OF REVENUE, C=IN,CN=SHAMBHU SHARAN, S=Uttar Pradesh

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की मांग पर [illegible] के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।

नोट– दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।

संलग्नक–3

प्रमाण पत्र प्रारूप नं– 2

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या--------------

दिनांक --------------

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ------------------------निवासी ग्राम------------------------------ तहसील-----------------------------नगर-- ---------------------जिला------------------------------ उत्तर प्रदेश राज्य की ---------------- जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी------------------------------तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम------------------- तहसील-------------- नगर-------------- जिला--------------------में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर-----------

स्थान-----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर

पूरानाम

पदनाम तथा सील—

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)

1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   2. बधिक   3. बादी
4. बहेलिया   5. बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   6. बैसवार
7. बजनिया   8. बाजगी   9. बलहार
10. बलाई   11. बाल्मीकि   12. बंगाली
13. बनमानुश   14. बांसफोड़   15. बरवार
16. बसोड़   17. बावरिया   18. बेलदार
19. बेरिया   20. भंतू
21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)
22. भुईयार   23. बोरिया   24. चमार, झुसिया, धुसिया, जाटव
25. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर)   26. दबगर   27. धनगर
28. धानुक   29. धरकार   30. धोबी
31. डोम   32. डोमर   33. दुसाध
34. घरामी   35. घसिया
36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर)   37. ग्वाल   38. हबूड़ा
39. हरी   40. हेला   41. कलाबाज
42. कंजर   43. कपड़िया   44. करवल
45. खराहा
46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)   47. खटीक
48. खोरोट   49. कोल   50. कोरी
51. कोरवा   52. लालबेगी   53. मझवार
54. मजहबी   55. मुसहर   56. नट
57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर)
58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   59. पासी, तरमाली
60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   61. रावत
62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर)   63. सिनोरिया   64. सांसिया
65. शिल्पकार   66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू   2. बुक्सा   3. भोटिया   4. राजी   5. जन्नासरी / जौनसारी
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

नोटः– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।

25

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक: **01/06/2019**

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की मुसहार जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश ,1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति,उत्तर प्रदेश) आदेश ,1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं. ,मल्लाहटोली,बहादुरगंज ग्राम मोहल्ला तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में सामान्यतया रहता है।

जारी कर्ता केन्द्र: दुर्ग विजय साहनी ,सीएससी जन सेवा केंद्र
पद: दुर्ग विजय साहनी , केन्द्र प्रभारी
स्थान :विशेक चन्दपुर ,मोहम्मदाबाद,RAMGARH,कासिमाबाद,गाजीपुर
दिनांक: **15/08/2019**

BIRAG PANDEY Digitally Signed by BIRAG PANDEY O=REVENUE DEPARTMENT, OU=REVENUE DEPARTMENT,S=Uttar Pradesh

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा सत्यापित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।

संलग्नक–4

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-.................................

वितीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा..

पोस्ट ऑफिस .... थाना ....

तहसील .... जिला .... राज्य ....

पिन कोड............................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वितीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

नोट– दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।

Download from UPYojana.net

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

<u>स्वंय घोषणा पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस ....
थाना .... ब्लाक .... तहसील ....
जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

Download from UPYojana.net

संलग्नक–5

केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति

Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)

for

(भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग)

(National Commission for Indian System of Medicine)

&

(राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग)

(National Commission of Homoeopathy)

सत्यमेव जयते
Ministry of Ayush
Government of India

Ref.No.1/1/2025-AACCC **Dated: 08.09.2025**

NOTICE

Kind Attention to all PwBD candidates who wish to participate in AACCC-PG Counseling-2025

All the PwBD candidates going to participate in AACCC-PG counseling 2025 who have registered themselves as PwBD candidates at NTA website during registration for AIAPGET-2025 examination and want to avail benefits of 5% PwBD reservation in AIQ seats of Govt./Govt.Aided/Central Universities/National Institute of ASU & H PG (MD/MS) Courses are advised to obtain their PwBD Certificate by reporting physically to the Disability Certification Centers designated by the DGHS, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi. **The format of Certificate of Disability is attached herewith as Annexure I and List of the Designated Centers attached as Annexure II.**

In this regard, like in previous academic years, Directorate General of Health services, MoH&FW already requested to issue Disability Certificate to the PwBD Candidates seeking admission in UG/ PG Ayurveda/ Siddha/ Unani/ Homoeopathy courses under All India Quota seats, vide its letter dated 08.09.2025 **(Copy enclosed as Annexure III)** as per the relevant regulations of the NCISM/NCH Act 2020. *(for reference, one such regulation copy is enclosed)*

****

Annexure-I

CERTIFICATE OF DISABILITY

Recent Passport Size Photograph of the candidate duly attested by the issuing authority

Certificate No.________________ Dated_________________

Name of the Designated Disability Centre (as per ANNEXURE-II):

____

This to certify that Dr./Mr./Ms.________________________________

_____________Aged________Years Son/Daughter of Mr._____________

R/o________________________

AIAPGET Roll No.__________,Rank No.__________,has the following Disability (Name of the Specified Disability) _____and has Permanent Physical Impairment(PPI) with the Disability Range (in percentage) of ___________________________(in words)_______________________(in Figures).

□**Please tick on the "Specified Disability"**
(Assessment may be done on the basis of Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3 Sub-section (ii), Ministry of Social Justice and Empowerment)

S. No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	Locomotor Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. others such as Amputation, Poliomyelitis.
		Visual Impairment	a. Blindness b. Low Vision
		Hearing Impairment	a. Deaf b. Hard of hearing
		Speed Language Disability	a. Organic/Neurological causes
2.	Intellectual Disability		Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental Aphasia) Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		Mental illness
4.	Disability caused due to	Chronic Neurological Conditions	Multiple Sclerosis Parkinsonism
		Blood Disorders	Haemophilia, Thalassemia, Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disabilities including Deaf Blindness		More than one of the above specified disabilities

- **Conclusion**: He/She is **Eligible /Not Eligible** for admission in Ayurveda/ Siddha/ Unani/ Homoeopathy PG courses as per the NCIMS /NCH/ CCIM /CCH-Gazette Notification subject to his being otherwise medically fit.
- Functional competency with the aid of **Assistive devices** in case of **Locomotor*/ Visual*/ Hearing*Impairment,** if any________

Sign &Name ……………
(Concerned Specialist)

Sign &Name ……………
(Concerned Specialist)

Sign &Name ……………
(Concerned Specialist)

अस्वीकृति– यह प्रमाण पत्र अस्थायी प्रारूप है एवं स्थायी प्रारूप सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार की अनिश्चितता/संशय की स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः डिसेबिलिटी के स्तर की स्पष्टता हेतु नैदानिक परीक्षण के लिये भेजा जा सकता है। यह प्रमाण पत्र केवल इस शैक्षणिक वर्ष हेतु ही वैध है।

Annexure-II

LIST OF CENTRES FOR DISABILITY CERTIFICATE

List of Centres from where Disability Certificates can be obtained as per 21 Benchmark Disability given under PWD Act-2016.

	Disability Certificate Issuing Centres	**City / State**	**Specialties Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate**
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi-110029	**DELHI / NEW DELHI**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except auditory disabilities (ENT) and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (for Locomotor Disability only), Hazi Ali, Mumbai-100034.	**MUMBAI, MAHARASHTRA**	For Locomotor Disability only
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Kolkata–700020	**KOLKATA,WEST BENGAL**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4.	MadrasMedical College, Park Town, Chennai-60003	**CHENNAI, TAMIL NADU**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound, Mumbai, Maharashtra	**MUMBAI, MAHARASHTRA**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6.	Goa Medical College, NH17, Bambolim, Tiswadi, Goa- 403202	**GOA**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability.
7.	Government Medical College, Medical PO, Thiruvananthapuram, Kerala State, India PIN-695011	**THIRUVANANTHAPURAM,KERALA**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophthalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram

8.	SMS Medical College, Jawahar Lal Nehru Marg, Gangawal Park, Adarsh Nagar, Jaipur Rajasthan 302004	**JAIPUR, RAJASTHAN**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: Neurology-Genetic Testing ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics / PMR- Gonitometer Adult. Plumb Line, Hand Dynamometer, Laser
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector 32, Chandigarh	**CHANDIGARH**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board, Agartala, Tripura	**AGARTALA, TRIPURA**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh	**VARANASI, UTTAR PRADESH**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.
12.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai (For Hearing Disabilities only)	**MUMBAI, MAHARASHTRA**	For Hearing Disabilities only
13.	AIIMS, Nagpur	**NAGPUR, MAHARASHTRA**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	**NEW DELHI**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT. For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15.	Lady Harding Medical College& Associated Hospitals (LHMC)	**NEW DELHI**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	**MYSURU, KARNATAKA**	For Speech & Hearing Disabilities only

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय: टी–19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक–IV, धनवंतरि भवन, मार्ग नंबर– 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantari Bhawan, Road No.- 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

ncism
॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 28525156
सचिव / Secretary: 28525847
कार्यालय /Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax: 28520878
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

Ref.No-1/1/2025-AACCC **Dated: 08.09.2025**

To

Directors/Chief Medical Superintendent/Principal

1. Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital, New Delhi.
2. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai
3. Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Kolkata
4. Madras Medical College. Chennai
5. Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound, Mumbai. Maharashtra
6. Goa Medical College, Goa
7. Government Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala
8. SMS Medical College, Jaipur, Rajasthan
9. Govt. Medical College and Hospital, Sector 32, Chandigarh
10. Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board, Agartala/Tripura
11. Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi U.P.
12. Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai, Maharashtra
13. AIIMS, Nagpur, Maharashtra
14. Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi
15. Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals, New Delhi
16. All India Institute of Speech and Hearing. Mysuru, Karnataka, Authorized Disability Certification Centers India.

Subject: Issuance of Disability certificate from Authorized Disability Certification Centers to PwBD candidates seeking admission to ASU & H- PG courses through AACCC-PG counseling for the academic year 2025-26-reg.

Sir/Madam

In connection with the subject cited above, I would like to request to issue the Offline PwBD Disability certificate, like in previous years,(Copy enclosed) to All India Ayush Post Graduate Entrance Test-2025 (conducted by NTA) qualified candidates, as per relevant PG regulations under IMCC Act 1970/NCISM Act 2020/NCH Act 2020 (Copies enclosed) seeking admission to Ayurveda, Siddha. Unani & Homoeopathy-Post Graduate courses through AACCC-PG counseling for the academic year 2025-26.

Encl: As above

Yours faithfully

(Sachidanand Prasad)
Secretary

सच्चिदानन्द प्रसाद
SACHIDANAND PRASAD
सचिव/Secretary
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission for Indian System of Medicine
पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

Copy to

1. The Secretary, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023.
2. The Chairperson, NCISM, Plot No. T-19.1st & 2nd, Floor, Block_IV Dhanwantari Bhawan. Road No 66. Punjabi Bagh (West). New Delhi-110026 (For information and necessary action).
3. The Chairperson. NCH, 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janak Puri, New Delhi-110058(For information and necessary action).
4. The Secretary, NMC, Pocket- 14. Sector 8. Dwarka Phase -1 New Delhi-110077(For

information and necessary action).

5. The ADG (ME), MCC, DGHS, Nirman Bhavan New Delhi(For information and necessary action).

6. The Deputy Chief Commissioner, Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities (Divyangjan) 5th Floor, NISD Building, Plot No.G-2, Sector-10, New Delhi-110075 (For information and necessary action).

(Sachidanand Prasad)
Secretary
NCISM

संलग्नक–6

➢ **राजकीय यूनानी** मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0नं0	कालेज की ई0मेल आई0डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ।	प्रो0 अब्दुल कवी 9826212048	sttcollegeandhospital@gmail.com	https://sttcollegelko.com	
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिमतगंज, प्रयागराज –211016	डा0 वसीम अहमद 9371566384	s.u.m.c.allahabad@gmail.com	https://www.sumc.in/	

➢ **राजकीय आयुर्वेदिक** मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0नं0	कालेज की ई0मेल आई0डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, टुड़ियागंज, लखनऊ ।	प्रो0 डी0के0 मौर्या 9456914676	statayurlko@gmail.com	https://saclko.in	
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	प्रो0 एस0एस0 बेदार 7398123381	lhac_plb@rediffmail.com	https://www.lhsacpilibhit.in	
3	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी।	प्रो0 नीलम गुप्ता 9415624840	racvaranasi@rediffmail.com	http://racvns.co.in/	

➢ **राजकीय होम्योपैथिक** मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	कालेज की	कालेज वेबसाइट	जियो टैग फोटो

सं0		एवं मो0नं0	ई0मेल आई0डी	हाइपरलिंक	
1	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शांतीपुरम, फाफामऊ प्रयागराज –211013	प्रो0 (डा0) हेमलता 7518181848 9452461704	homoallahabad013@gmail.com	www.statelbshmc.com	
2	राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर–208024	प्रो0 हर्षवर्धन सिंह भदौरिया 9826448686	pjlnrhmc@gmail.com	www.Jawaharhmcgov.co.in	
3	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ–226010	प्रो0 विजय कुमार पुष्कर 9415466529 7905486794	Nhmclko03@gmail.com	www.nhmclucknow.com	

➢ **निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज** एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0नं0	कालेज की ई0मेल आई0डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएड़ा।	डा0 सी0पी0 शर्मा 9899101747	college@bakson.net	https://baksonhmc.com/	
2	नैमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, आगरा	डा0 पंकज त्रिपाठी 8193896320	nhmcagra@gmail.com	https://naiminath.org/	

➢ **निजी क्षेत्र के यूनानी मेडिकल कालेज** एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0नं0	कालेज की ई0मेल आई0डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, मुजफ्फर नगर	प्रो0 मुशताक हुसैन 9897632081	1992uni0308@gmail.com	www.aiumc.org	

2	अलीगढ़ यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़–202127	प्रो0 अहमद नदीम खान 7078674942, 9411488834	1993uni0309@gmail.com	https://www.aligarhunanicollege.com/	

➢ **निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज** एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई–मेल आई0डी0, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0नं0	कालेज की ई0मेल आई0डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ फर्रूखाबाद,।	डा0 जीतेन्द्र सिंह 6554964680	majorsdsinghayd@gmail.com	www.majorsdspgamc.org	
2	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुर्जा, बुलन्दशहर।	डा0 अशोक द्विवेदी 9808024312 8957631677	2002ayu0253@gmail.com	www.vydsayurvedmahavidyalaya.org	
3	श्री सॉई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	डा0 अंकुर सिंघल 9760768689 8791102676	srisamc@yahoo.com	www.srisairgroup.com	
4	चन्द्र शेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान, सैयद सरावा, कौशाम्भी	प्रो0 विनोद कुमार 7524037425	cssas.allahabad@gmail.com	www.cssas.org	
5.	श्री धनवंतरि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा	डा0 बसन्त प्राशर 9311110180 9266949401	sdamcrc@yahoo.com	www.shridhanwantrigroup.com	

6.	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्बेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल फतेहगढ़, फरूखाबाद	डा0 मंजूनाथ एन0 एस0 9839012371 9670566661 6721279797	2015ayu0356jsg@gmail.com	www.sbsjsmc.org.com	
7.	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अलीगढ़	डा0 आर0एन0 मोहन्तो 9927742600	jjpmcollege@gmail.com	www.ayurvedicmedicalcollege.com	
8.	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, छाता, मथुरा	डा0 मोहनन एम0 9359688846 9557414918	sanskritiayurvedic@gmail.com	www.sanskriti.edu.in/ayurvedic	
9.	शम्मे गौसिया माइनारटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर	प्रो0 गजनफर इमाम 9415983027	sgmpgaumc@gmail.com	www.sgmpgamc.org